न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 1/2019
मोहम्मद हनीफ पुत्र सरवर अली खान जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वार्ड न0 1 ग्राम धनूरी तहसील मलसीसर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार) झुंझुनू।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 06.02.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक **31.12.2018** को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 1/2019 पर दिनांक 10.01.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार) झुंझुनू के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2019/49—50 दिनांक 10.01.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार) झुंझुनू ने पत्रांक सू0अ0अ0/19/17 दिनांक 04.02.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त होने पर उनके कार्यालय के पत्रांक 282 दिनांक 16.08.2018 द्वारा सूचना भिजवाते हुए अवगत करा दिया गया था कि चाही गई पत्रावली इस कार्यालय के रिकार्ड मे जमा नही होने से सूचना दिया जाना संभव नही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त होने पर उनके कार्यालय के पत्रांक 282 दिनांक 16.08.2018 द्वारा सूचना भिजवाते हुए अवगत करा दिया गया था कि चाही गई पत्रावली उनके कार्यालय के रिकार्ड मे जमा नही होने से सूचना दिया जाना संभव नही है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 06.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुन
जिला कलेक्टर झुन्झुनू